उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या–1400–कार्य/चौदह–पाकालि/2021–8(17)–के/2021 दिनांकः 03 सितम्बर, 2021

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणान्चल/
पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0,
वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ,
केस्को, कानपुर।

विषय : पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी द्वारा मैसर्स चौधरी कन्सट्रक्सन ग्राम–रामरायपुर, पोस्ट–भवानीपुर, चुनार जिला–मिर्जापुर को व्यापार निषिद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य अभियन्ता जानपद क्षेत्र(वि0) वाराणसी, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी के कार्यालय ज्ञाप सं0–644/मु0अ0जा0क्षे0(वि0)/वा/मैसर्स चौधरी कन्सट्रक्सन दिनांक 07.08..2021 जो मैसर्स चौधरी कन्सट्रक्सन ग्राम–रामरायपुर, पोस्ट–भवानीपुर, चुनार जिला–मिर्जापुर को व्यापार निषिद्ध करने के सम्बन्ध में हैं, का सन्दर्भ ग्रहण करें।

उपरोक्त पत्र की छायाप्रति प्रेषित करते हुए मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त पत्र को संज्ञान में लेते हुए तद्नुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(अमरेन्दु)
संयुक्त सचिव
(ज0श0प्रशि0 एवं कार्य)

संख्या– 1400 (I)–कार्य/चौदह–पाकालि/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0/राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता जानपद क्षेत्र(वि0) वाराणसी, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी को उनके कार्यालय ज्ञाप सं0–644/मु0अ0जा0क्षे0(वि0)/वा/मैसर्स चौधरी कन्सट्रक्सन दिनांक 07.08.2021 के सन्दर्भ में।
3. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट–www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नकः–यथोपरि।

(अमरेन्दु)
संयुक्त सचिव
(ज0श0प्रशि0 एवं कार्य)

संख्या–1400 (II)–कार्य/चौदह–पाकालि/2021, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवयश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अध्यक्ष, असम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बिजली भवन, पलटन बाजार, गुवाहाटी–781001,
2. अध्यक्ष, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, रेस कोर्स, बड़ोदा–390007,
3. अध्यक्ष, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, पैटर्न, तिरूवनन्तपुरम–695001,
4. सचिव, तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, एन0पी0के0पी0आर0, मल्लीगल, 800ए, अन्ना सलाई, चेन्नई–600002,
5. सचिव, हिमॉचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, शिमला (एच0पी0)–171004,
6. सचिव, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, शक्ति भवन, विद्वुत नगर, जबलपुर–432008,
7. अध्यक्ष, महाराष्ट्रा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, 4 तल, बांद्रा ईस्ट, मुम्बई–400051,
8. सचिव, मेघालय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, लूम जिंगशाल, राउण्ड रोड, सिलॉंग–793001,
9. अध्यक्ष, झाड़खण्ड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इन्जिनियरिंग बिल्डिंग, एच0ई0सी0 धुर्वा, राँची–834004,
10. अध्यक्ष, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, विद्युत भवन, 7वाँ तल, बिधान नगर, कलकत्ता–700091,
11. प्रबन्ध निदेशक, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग क0 लि0, विद्युत सेवा भवन, डंगनिया, रायपुर–492013,
12. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पावर जनरेशन कारपोरेशन लि0, विद्युत सौधा, हैदराबाद–500082,
13. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, आन्ध्र प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, हैदराबाद–500049,
14. प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा विद्युत पारेषण निगम लि0, शक्ति भवन, सेक्टर–06, पंचकुला, हरियाणा–134109,
15. अध्यक्ष, उ0 दिल्ली पावर लि0, ग्रिड सब–स्टेशन बिल्डिंग, हरसंन लाइन, किंगस् वे कैम्प, नई दिल्ली–110009,
16. अध्यक्ष, दिल्ली ट्रॉंसमिशन लि0, शक्ति सदन, कोटा रोड, नई दिल्ली–110002,
17. अध्यक्ष, उड़ीसा हाईड्रो पावर कारपोरेशन लि0, भुवनेश्वर–751001,
18. प्रबन्ध निदेशक, कर्नाटक पावर जेनेरेशन कार्पोरेशन लि0, शक्ति भवन, 82–रेस कोस रोड, बैंगलौर–500001,
19. प्रबन्ध निदेशक, गुजरात स्टेट एनर्जी जेनरेशन लि0, ब्लाक–5, 3 तल, उद्योग भवन, सेक्टर–11, गाँधीनगर–382001, (गुजरात)।
20. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, ग्रिड कारपोरेशन ऑफ उड़ीसा लि0, जनपद, भुवनेश्वर–751001,
21. अध्यक्ष, जोधपुर विद्युत निगम लि0, न्यू पावर हाउस, इन्डस्ट्रियल एरिया, जोधपुर, राजस्थान।
22. अध्यक्ष, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत भवन, न्यू विधान सभा मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
23. अध्यक्ष, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बार्ड, विद्युत भवन, विद्युत मार्ग, जयपुर–337001,
24. प्रबन्ध निदेशक, वेस्ट बंगाल रूरल एनर्जी डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, 19ए, ब्रिटिश इन्डियन स्ट्रीट 3 तल, कलकत्ता– 700069,
25. सचिव, राजस्थान राज्य विद्युत परिसर निगम लि0, विद्युत भवन, ज्योति नगर, आर0सी0 देव मार्ग, जयपुर–302005।
26. सचिव, दिल्ली विद्युत बोर्ड, रूम नं0–104, शक्ति भवन, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली–110019,
27. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिण हरियाणा बिजली विद्युत निगम लि0, विद्युत नगर, हिसार–126005,
28. अध्यक्ष, (वेस्ट जोन), मध्य प्रदेश पश्चिम कहेत्रा विद्युत वितरण कारपोरेशन लि0, जी0पी0एच0 कम्पाउन्ड, पोलो ग्राउन्ड, इन्दौर।
29. निदेशक, जनरल ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्पोजल डेवलेपमेन्ट ऑफ कामर्स (सप्लाई ऑफ डिविजन) जीवन तरंग बिल्डिंग, 5–पार्लियामेंट स्ट्रीट, न्यू दिल्ली–110001।
30. अध्यक्ष, नेशनल स्मॉल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लि0, नीयर ओखला इन्डस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली।
31. अध्यक्ष, बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, पटना, बिहार।

संलग्नक–यथोपरि।

(अमरेन्दु)
संयुक्त सचिव
(ज0श0प्रशि0 एवं कार्य)

पत्र सं० 1303 कार्य–14/पाकालि/2021
दिनांक 8(12) 21

1400

कार्यालय
मुख्य अभियन्ता,
विद्युत जानपद क्षेत्र(वि0),
पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0,
विद्युत नगर, पो0–डी0एल0डब्ल्यू0,
वाराणसी

Email:-cecdpuvvnl@gmail.com
Mob:- 9450963524

CIN-U31200UP2003SG027461

सं0 2547 ... /21

पत्रांकः– /मु0अ0जा0क्षे0(वि0)/वा0/मेसर्स चौधरी कंस्ट्रक्शन दिनांक / /2021

6 6562

कार्यालय ज्ञापन

एतद्द्वाराअधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद खण्ड(वि0), पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी के कार्यालय पत्रांक संख्या–1157/वि0जा0खं0(वि0)/वा0, दिनांक 28.01.2020 के क्रम में पुनः प्रेषित कार्यालय पत्रांक संख्या–1696/वि0जा0 खं0(वि0)/वा0/व्यापार निषेद्य, दिनांक 24.02.2021 के द्वारा मेसर्स चौधरी कन्सट्रक्सन, ग्राम–रामरायपुर, पोस्ट–भवानीपुर (चुनार) जिला–मिर्जापुर(प्रो0 चौधरी जोगेन्द्र सिंह) से व्यापार निषेद्य करने हेतु प्रेषित आख्यॉं पर अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल(वि0), वाराणसी द्वारा दिनांक 30.01.2020 के क्रम में अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वि0), वाराणसी के कार्यालय पत्रांक संख्या–571/वि0जा0मं0(वि0)/वा0, दिनांक 01.03.2021 एवं अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद खण्ड(वि0), वाराणसी के टिप्पणी एवं आदेश संख्या–116/वि0जा0खं0(वि0) /वा0/व्यापार निषेद्य/चौधरी कन्सट्रक्शन, दिनांक 28.04.2021 पर अधीक्षण अभियन्ता (जानपद), वाराणसी एवं पुनः अधीक्षण अभियन्ता (जानपद), वाराणसी के कार्यालय पत्रांक–1112/वि0जा0मं0(वि0)/मे0 चौधरी कान्सट्रक्शन दिनांक 04.06.2021 द्वारा की संस्तुति की गयी है, जिसकी आख्या निम्नवत् हैः–

ई-मेल द्वारा प्राप्त

(1) मेसर्स चौधरी कन्सट्रक्सन, ग्राम–रामरायपुर, पोस्ट–भवानीपुर (चुनार) जिला–मिर्जापुर(प्रो0 चौधरी जोगेन्द्र सिंह) विद्युत जानपद खण्ड(वि0), वाराणसी के आधीन मा0 ऊर्जा मंत्री जी की घोषणा में सम्मिलित आदर्श विद्युत उपकेन्द्र का जानपदीय कार्य यथा– कन्ट्रोल रूम के अनुरक्षण कार्य इत्यादि को अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद खण्ड (वि0), वाराणसी के कार्यादेश संख्या–581/वि0जा0 खं0(वि0)/वा0, दिनांक 27.08.2019 के द्वारा आवंटित किया गया था, जिसके कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 09.09.2019 एवं पूर्ण करने की तिथि 23.11.2019 निर्धारित थी एवं कार्य की निविदित लागत रू0 7,14,099.68 (जी.एस.टी. अतिरिक्त) थी। कई बार अवर अभियन्ता, उपखण्ड अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता द्वारा लिखित तथा मौखिक रूप से निर्देशित करने के बावजूद भी उक्त फर्म द्वारा कार्य को निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद गुणवत्ताविहिन एवं मानक के विपरीत कार्य प्रारम्भ किया गया। फलस्वरूप अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद खण्ड(वि0), वाराणसी के कार्यालय पत्रांक संख्या–948/वि0जा0ख(वि0)/वा0 दिनांक 10.12.2019 के द्वारा सम्बन्धित फर्म को <u>कारण बताओं नोटिस पत्र</u> निर्गत किया गया, जिसके क्रम में मेसर्स चौधरी कंस्ट्रक्शन, मिर्जापुर द्वारा अपने पत्र संख्या–'शून्य', दिनांक 19.12.2019 के द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण आख्यॉं झूठा एव तथ्यहीन होने के कारण अस्वीकार करते हुए निविदा में निहित शर्तो के तहत स्वयं के कार्यालय पत्रांक संख्या–1012/वि0 जा0खं(वि0)/वा0/आ0वि0उपकेन्द्र, दिनांक 24.12.2019 के द्वारा **(इस कार्य में मेसर्स चौधरी कंस्ट्रक्शन, मिर्जापुर की परफार्मेंस अत्यन्त खराब होने के कारण)** तत्काल प्रभाव से कार्यादेश को निरस्त करते हुए जमा धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया गया।

अ० स०-1

654

1078

(2) मेसर्स चौधरी कन्सट्रक्सन, ग्राम–रामरायपुर, पोस्ट–भवानीपुर (चुनार) जिला–मिर्जापुर(प्रो0 चौधरी जोगेन्द सिंह) विद्युत जानपद खण्ड(वि0), वाराणसी के आधीन मा0 ऊर्जा मंत्री जी की घोषणा में सम्मिलित आदर्श विद्युत उपकेन्द्र का जानपदीय कार्य यथा– फेंसिंग सम्बन्धित निर्माण कार्य इत्यादि को अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद खण्ड (वि0), वाराणसी के कार्यादेश संख्या–582/वि0जा0 खं0(वि0)/वा0, दिनांक 27.08.2019 के द्वारा आवंटित किया गया था, जिसके कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 09.09.2019 एवं पूर्ण करने की तिथि 08.11.2019 निर्धारित थी एवं कार्य की निविदित लागत रू0 11,70,758.33 (जी.एस.टी. अतिरिक्त) थी। कई बार अवर अभियन्ता, उपखण्ड अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता द्वारा लिखित तथा मौखिक रूप से निर्देशित करने के बावजूद भी उक्त फर्म द्वारा कार्य को निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद गुणवत्ताविहिन एवं मानक के विपरीत कार्य प्रारम्भ किया गया। फलस्वरूप अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद खण्ड(वि0), वाराणसी के कार्यालय पत्रांक संख्या–949/वि0जा0 खं(वि0)/वा0, दिनांक 10.12.2019 के द्वारा सम्बन्धित फर्म को कारण बताओं नोटिस पत्र निर्गत किया गया।

से.स. (अशा0/कार्य)

17/8

इसी क्रम में मेसर्स चौधरी कंस्ट्रक्शन, मिर्जापुर द्वारा अपने पत्र संख्या–'शून्य', दिनांक 19.12.2019 के द्वारा प्रेषित स्पष्टीकरण आख्यॉं झूठा एवं तथ्यहीन होने के कारण अस्वीकार करते हुए निविदा में निहित शर्तो के तहत स्वय के

(संदीप सिंह)
अपर सचिव–प्रथम

क्रमशः पेज–02/.......

उप सचिव (कार्य)

(आशुतोष)
संयुक्त सचिव
(ज0श0प्रशि0 एवं कार्य)

अनु अधि (कार्य)

ARO(12)
12/08/2021

12/8/21

Scanned with CamScanner

कार्यालय पत्रांक संख्या–1013/वि0जा0खं(वि0)/वा0/आ0वि0उपकेन्द्र, दिनांक 24.12.2019 के द्वारा **(इस कार्य में भी मेसर्स चौधरी कंस्ट्रक्शन, मिर्जापुर की परफार्मेंस अत्यन्त ही खराब रहने के कारण)** तत्काल प्रभाव से कार्यादेश को निरस्त करते हुए जमा धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया गया।

(3) मेसर्स चौधरी कन्सट्रक्सन, ग्राम–रामरायपुर, पोस्ट–भवानीपुर (चुनार) जिला–मिर्जापुर(प्रो0 चौधरी जोगेन्द्र सिंह) विद्युत जानपद खण्ड(वि0), वाराणसी के आधीन 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र–कांटा, जिला–चन्दौली पर अवशेष जानपदीय निर्माण कार्य अनुबन्ध संख्या–19/2018–19 के द्वारा आवंटित किया गया था, जिसके कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 27.01.2018 एवं पूर्ण करने की तिथि 10.03.2018 निर्धारित थी एवं कार्य की अनुबन्धित लागत रू0 4,71,635.73 (जी.एस.टी. अतिरिक्त) थी। कई बार अवर अभियन्ता, उपखण्ड अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा लिखित तथा मौखिक रूप से निर्देशित करने के बावजूद भी उक्त फर्म द्वारा कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने की तिथि से लगभग 03 वर्ष 03 माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी आधा, अधूरा कार्य ही पूर्ण किया गया। फलस्वरूप अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद खण्ड(वि0),वाराणसी के कार्यालय पत्रांक संख्या–460/वि0जा0खं(वि0)/ वा0, दिनांक 18.06.2021 के द्वारा सम्बन्धित फर्म को <u>कारण बताओं नोटिस पत्र</u> निर्गत किया गया, जिसके क्रम में मेसर्स चौधरी कंस्ट्रक्शन, मिर्जापुर द्वारा कोई भी प्रतिउत्तर प्रेषित न करने के कारण स्वयं के कार्यालय पत्रांक संख्या–674/वि0जा0खं(वि0)/वा0 /मे0 चौधरी कंस्ट्रक्शन, दिनांक 13.07.2021 के द्वारा फर्म को विलम्ब के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होने के नाते अनुबन्ध की शर्तो के तहत रू0 47,164.00 मात्र का आर्थिक दण्ड आरोपित किया गया एवं डिफेक्टिव कार्यो को ठीक न कराने हेतु मेसर्स चौधरी कंस्ट्रक्शन, मिर्जापुर के जिम्मेदार होने के नाते अनुबन्ध की शर्तो के तहत सम्बन्धित फर्म के खण्ड में लम्बित देयकों से रू0 1,30,888.00 मात्र की कटौती सुनिश्चित करते हेतु अनुबन्ध को यथा स्थिति में फाइनल कर दिया गया (इस कार्य में भी मेसर्स चौधरी कंस्ट्रक्शन, मिर्जापुर की परफार्मेंस अत्यन्त ही **खराब रही)**।

(4) मेसर्स चौधरी कन्सट्रक्सन, ग्राम–रामरायपुर, पोस्ट–भवानीपुर (चुनार) जिला–मिर्जापुर(प्रो0 चौधरी जोगेन्द्र सिंह) विद्युत जानपद खण्ड(वि0), वाराणसी के आधीन स्वच्छ भारत अभियान योजना के अन्तर्गत खुले में शौचमुक्त हेतु विद्युत नगर भिखारीपुर, वाराणसी परिसर में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य अनुबन्ध संख्या–03/2019–20 के द्वारा आवंटित किया गया था, जिसके कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 01.03.2019 एवं पूर्ण करने की तिथि 15.04.2019 निर्धारित थी एवं कार्य की अनुबन्धित लागत रू0 5,26,837.66 (जी.एस.टी. अतिरिक्त) थी। कई बार अवर अभियन्ता, उपखण्ड अधिकारी एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा लिखित तथा मौखिक रूप से निर्देशित करने के बावजूद भी उक्त फर्म द्वारा कार्य को निर्धारित अवधि में पूर्ण करने की तिथि से लगभग 02 वर्ष 02 माह से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त किसी तरह आधा अधूरा कार्य पूर्ण कर बीच में ही छोडकर भाग गये। फलस्वरूप अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद खण्ड(वि0),वाराणसी के कार्यालय पत्रांक संख्या–461/वि0जा0 खं(वि0)/ वा0, दिनांक 18.06.2021 के द्वारा सम्बन्धित फर्म को <u>कारण बताओं नोटिस पत्र</u> निर्गत किया गया, जिसके क्रम में मेसर्स चौधरी कंस्ट्रक्शन, मिर्जापुर द्वारा कोई भी प्रतिउत्तर प्रेषित न करने के कारण अनुबन्ध मे निहित शर्तो के तहत स्वयं के कार्यालय पत्रांक संख्या–675/वि0जा0खं(वि0)/वा0/मे0 चौधरी कंस्ट्रक्शन, दिनांक 13.07.2021 के द्वारा फर्म को विलम्ब के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होने के नाते अनुबन्ध की शर्तो के तहत रू0 52,684.00 मात्र का आर्थिक दण्ड आरोपित करते हुए अनुबन्ध को यथा स्थिति में फाइनल कर दिया गया **(इस कार्य में भी मेसर्स चौधरी कंस्ट्रक्शन, मिर्जापुर की परफार्मेंस अत्यन्त ही खराब रही)**।

(5) मेसर्स चौधरी कन्सट्रक्सन, ग्राम–रामरायपुर, पोस्ट–भवानीपुर (चुनार) जिला–मिर्जापुर के मालिक प्रो0 चौधरी जोगेन्द्र सिंह स्वयं एवं अपने दो अन्य सहयोगियों के साथ दिनांक 09.10.2020 को निजी अनुचित हित लाभ प्राप्त करने की मकसद से मुख्य अभियन्ता(जानपद) , विद्युत जानपद क्षेत्र(वि0), वाराणसी के कार्यालय में अनुसेवक से धक्का–मुक्की करते हुए जबरदस्ती प्रवेश कर अमर्यादित व्यवहार किया गया था, जिसके क्रम में थाना, लंका जनपद–वाराणसी में मुकदमा संख्या–0696/2020 पंजीकृत है। इसी क्रम में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद खण्ड(वि0), वाराणसी के कार्यालय पत्रांक संख्या–47/वि0जा0खं0(वि0)/वा0, दिनांक 07.04.2021 के द्वारा 05 (पॉच) वर्षो हेतु व्यापार निषेद्य की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु <u>कारण बताओं नोटिस पत्र</u> मेसर्स चौधरी कन्सट्रक्सन, ग्राम–रामरायपुर, पोस्ट–भवानीपुर (चुनार) जिला–मिर्जापुर (प्रो0 चौधरी जोगेन्द्र सिंह) को निर्गत किया गया था, जिसका प्रतिउत्तर फर्म द्वारा अपने पत्र संख्या–'शून्य' , दिनांक 11.04.2021 के द्वारा प्रेषित किया गया। उक्त प्रेषित किया गया स्पष्टीकरण आख्यॉ झूठा एवं तथ्यहीन होने के कारण अत्यन्त ही असंतोषजनक रहा।

उपरोक्त प्रेषित आख्यॉ से स्पष्ट हो रहा है कि मेसर्स चौधरी कन्सट्रक्सन, ग्राम–रामरायपुर, पोस्ट–भवानीपुर (चुनार) जिला–मिर्जापुर (प्रो0 चौधरी जोगेन्द्र सिंह) द्वारा पूर्व में आवंटित कार्यो को करने में कोई रूचि नही रही है एवं कार्य ना करके अनावश्यक रूप से अनुचित एवं अमर्यादित व्यवहार किया जाता रहा है।

क्रमशः पेज–03/........

CB(...)

Scanned with CamScanner

अतः मेसर्स चौधरी कन्सट्रक्सन (प्रो0 चौधरी जोगेन्द्र सिंह) ग्राम–रामरायपुर, पोस्ट–भवानीपुर (चुनार) जनपद–मिर्जापुर को निगम कार्यहित के दृष्टिगत रखते हुए एतद्द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी के अन्तर्गत किसी भी जानपदीय कार्य में प्रतिभाग करने से 03 (तीन) वर्ष अर्थात दिनांक 31.07.2024 तक व्यापार निषेध करने हेतु आदेशित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(संजय कुमार जैन)
मुख्य अभियन्ता जानपद क्षेत्र (वि0), वाराणसी

पत्रांकः 644/मु0अ0जा0क्षे0(वि0)/वा0/मेसर्स चौधरी कन्सट्रक्सन दिनांकः 07.08.2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत नगर, वाराणसी।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशासन), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (जानपद), विद्युत जानपद पारेषण क्षेत्र (प्रथम/द्वितीय), लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (जानपद), मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जानपद), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ।
6. मुख्य अभियन्ता (जानपद), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
7. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद मण्डल (वितरण), पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
8. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद खण्ड (वि0), वाराणसी को दो प्रति इस आशय से प्रेषित कि वह एक प्रति मेसर्स चौधरी कन्सट्रक्शन, ग्राम–रामरायपुर, पोस्ट–भवानीपुर, जिला–मिर्जापुर को उपलब्ध करा दें।
9. अधिशासी अभियंता, विद्युत जानपद खण्ड (वि0), प्रयागराज/गोरखपुर एवं विद्युत पोल निर्माण जानपद खण्ड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी।
10. नोटिस बोर्ड।

(संजय कुमार जैन) 7/8/21
मुख्य अभियन्ता जानपद क्षेत्र (वि0), वाराणसी

Scanned with CamScanner